है। उदयपुर के निकट ससबाहू मन्दिर को जाने वाली सड़क का सुधार और सरिसिका, माउण्ट-आबू और जयपुर में आवास व्यवस्था की वृद्धि जैसी अन्य सुविधाओं के विकास के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1,52,997 रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

(ख) राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटक होटल बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उदयपुर के निकट ससबाहू मन्दिर को जाने वाली सड़क के सुधार के लिए अन्तिम किस्त के तौर पर पर्यटन विभाग के चालू वर्ष के बजट में 8,327/- रुपये की व्यवस्था मौजूद है।

अध्यापकों का आर्थिक उत्थान

5121. **श्री ओंकार लाल बोहरा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अध्यापकों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिये केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ख) क्या केन्द्रीय शिक्षा निधि के नमूने के किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है जिसे राज्यों में भी अध्यापकों के कल्याण के लिये क्रियान्वित किया जा सके और जिसके लिये केन्द्रीय अनुदान मिल सके ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) शिक्षकों की सामाजिक और आर्थिक दशाओं को सुधारने के लिए शिक्षा आयोग ने बहुत से उपायों की सिफारिश की है और उन पर विचार किया जा रहा है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं तथापि, अभावग्रस्त अध्यापकों और उनके आश्रितों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान की स्थापना की गई है और राज्य सरकारों को प्रत्येक राज्य में एकत्र किए गए धन का 80 प्रतिशत भाग के उपयोग के अधिकार दे दिए गए हैं।

स्वेच्छा से सरकारी कर्मचारियों का सेवा-निवृत्त होने की योजना

5122. **श्री शिव कुमार शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो 25 वर्ष की नौकरी पूरी कर चुके हों, स्वेच्छापूर्वक सेवा-निवृत्त हो सकते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि यद्यपि इस सम्बन्ध में घोषणा की जा चुकी है परन्तु इस बारे में अभी तक कोई सरकारी आदेश जारी नहीं किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा किस तारीख तक आदेश जारी कर दिये जाने की सम्भावना है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). वर्तमान नियमों के अधीन सरकार को सरकारी सेवा में 1-10-1938 से पहले प्रविष्ट होने वाले कर्मचारियों की कुछ विशेष श्रेणियों को 25 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूरी कर लेने पर लोकहित की दृष्टि से सेवा-निवृत्त कराने का अबाध अधिकार है, और ऐसे कर्मचारियों को भी इसी प्रकार से निवृत्ति ग्रहण करने का ऐसा ही अधिकार है। अन्य सरकारी कर्मचारियों के बारे में सरकार को उनके 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने अथवा 30 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूरी कर लेने पर उन्हें सेवा-निवृत्त कराने का अबाध अधिकार प्राप्त है, यदि ऐसा करना लोक-हित की दृष्टि से आवश्यक हो और सरकारी कर्मचारियों को भी बदले में इस प्रकार सेवा-निवृत्ति ग्रहण करने का अधिकार है।

प्रशासन को सशक्त बनाने के उपाय के रूप में यह निश्चय किया गया है कि यदि लोक-हित की दृष्टि से आवश्यक हो तो सरकार को सरकारी कर्मचारियों को 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने या 25 वर्ष की पेंशन के लिये अर्हतादायी सेवा पूरी कर लेने में से जो भी

पहले हो उसके बाद तीन माह का नोटिस देकर सेवा-निवृत कराने का अधिकार होना चाहिये । यह भी निश्चय किया गया कि बदले में सरकारी कर्मचारियों को भी उपरोक्त आयु प्राप्त कर लेने अथवा अर्हतादायी सेवा पूरी कर लेने पर तीन माह का नोटिस दे कर सेवा-निवृत्ति ग्रहण करने का अधिकार प्रदान किया गया ।

किन्तु ऐसी सेवाओं/पदों के बारे में जिनमें प्रवेश के लिये आयु की सीमा 35 वर्ष और उससे ऊपर है, इस अधिकार का उपयोग केवल तभी किया जा सकेगा जबकि सरकारी कर्मचारी 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, अथवा उसने 25 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूरी कर ली हो । हां 55 वर्ष की आयु अथवा 25 वर्ष की सेवा में से जो भी पहले पूरी हो जाय उसके बाद इसका उपयोग किया जा सकेगा ।

इस मामले पर संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था के अन्तर्गत स्थापित राष्ट्रीय परिषद् की पिछली बैठक में भी विचार किया गया था जो 6/7 नवम्बर 1967 को हुई थी । इस बैठक में कर्मचारी वर्ग पक्ष ने अपनी असहमति प्रकट की थी । मामले पर सरकार द्वारा आगे विचार किया जा रहा है ।

सरकारी कर्मचारी

5123. **श्री शिव कुमार शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्होंने स्वयं आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए हैं कि उनको फालतू घोषित किया जाये ;

(ख) क्या सरकार ने उनके आवेदन-पत्रों पर निर्णय कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उन पर कब तक अन्तिम रूप से निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा किये गए अध्ययनों के अथवा वित्त मंत्रालय के कर्मचारी वर्ग निरीक्षण एकक द्वारा किये गए पुनर्विचार के फलस्वरूप पदों की संख्या में कमी हो जाने पर कर्मचारियों को फालतू घोषित करते समय दृढ़ता के साथ वरिष्ठता क्रम का प्रतिकूल दिशा से पालन किया जाता है । वरिष्ठ व्यक्ति स्वेच्छा से सेवा-निवृत्ति की मांग नहीं कर सकते । अतः स्वेच्छिक सेवा-निवृत्ति का लाभ प्राप्त करने के लिये वे केवल स्वेच्छया सेवा-निवृत्ति की ही मांग कर सकते हैं ।

Porbandar-Okha Coastal Highway

5125. **SHRI HARDAYAL DEVGUN** : Will the Minister of TRANSPORT AND SHIPPING be pleased to state :

(a) whether Government propose to construct a costal highway connecting Porbandar with Okha on one side and with Veraval on the other;

(b) whether Government also propose to construct a road between Miyani and Mool Madhavpur; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF TRANSPORT AND SHIPPING (SHRI BHAKT DARSHAN) : (a) to (c). The Government of Gujarat have been requesting for some time past for Central financial assistance for the development of a coastal highway along the Saurashtra Coast from Baroda to Maliya. The road sections mentioned in parts (a) & (b) form part of this coastal highway. This is a State road and the development of the proposed road Sections is primarily the responsibility of the State Government. The State Government have, however, reiterated their request for Central financial assistance under the Fourth 5-Year Plan also and have supplied some essential data in justification of the Project. This is being examined; but a decision in the matter can be taken only after the Fourth Plan Allocations have been finalised and the *inter se* priorities between